रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 1972/चैत्र 16, 1894

No. 72] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 1972/CHAITRA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th April 1972

SUBJECT.—*Import of (i) dry fruits (S. No. 21(a)(ii)/(IV)(ii) Asafoetida (S. No. 31(b)/V), (iii) Cumin Seeds (S. No. 37/IV) and (iv) Medicines, Medicinal herbs and extracts of Medicinal herbs and Plants from Afghanistan from 1st March, 1972 to 28th February, 1973.*

No. 50-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/72, dated the 20th March, 1972, on the above subject.

2. It has been laid down in paragraphs 13 and 16 of the aforesaid Public Notice that no further CCPs for import of dry fruits from Afghanistan and no further permits for exports from India will be issued unless documentary evidence is produced by the applicant to the licensing authorities or the Reserve Bank of India, as the case may be that the applicant has fulfilled his counter-obligation within a period of three months to the extent of not less than 80 per cent of the value of the prescribed counter-obligation. It may be clarified, in this connection, that in every case, the counter-obligation to be fulfilled by the applicant under

the Indo-Afghan trade arrangement is equal to 100 per cent of the value of imports or exports, as the case may be, and this counter-obligation is required to be fulfilled within a period of three months which, in the case of imports, will count from the date of issue of the C.C.P., and, in the case of exports, it will count from the date of export. If the party concerned makes an application for further import or export at any time before the expiry of the period of three months prescribed for fulfilment of the counter-obligation on the earlier import/export, he can do so provided, by that time, he has fulfilled at least 80 per cent of the earlier counter-obligation and produces satisfactory documentary evidence to this effect to the licensing authorities in the case of import application and the Reserve Bank of India in the case of export application.

3. It will in any case be incumbent on the party to produce the prescribed evidence in support of the fulfilment of the 100 per cent counter-obligation within the prescribed period of three months in the manner as laid down in the aforesaid Public Notice.

4. Paragraph 11(a) of the aforesaid Public Notice lays down the basis on which the value of CCPs will be calculated for import of Afghan dry fruits in the case of 'importers'. In this connection, it may be clarified that, for this purpose, the best year's imports that will be taken into account by the licensing authorities shall be the imports of Afghan dry fruits only in one of the three years within the period as prescribed.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1972

विषय.—अफगानिस्तान से 1-3-72 से 28-2-73 तक (1) सूखे फलों, (क्र० सं० 21(ए)(2)/(4), (2) हींग (क्र० सं० 31(बी)/5), (3) जीरा बीज (क्र० सं० 37/4) तथा (4) औषध, आषधीय बूटियां और औषधीय बूटियों के सत्त तथा पौधों का आयात ।

संख्या : 50 आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.— उपर्युक्त विषय पर, विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या, 44–आईटीसी(पीएन)/72, दिनांक 20 मार्च, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 13 और 16 में यह निर्धारित किया गया है कि अफगानिस्तान से सूखे फलों क आयात के लिए अगला सीमाशुल्क निकासी परमिट तथा भारत से निर्यात के लिए परमिट तब तक जारी नहीं किए जायेंगे जब तक आवेदक द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों को अथवा भारत के रिजर्व बैंक को, जैसा मामला हो, प्रलेखीय साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर दिया जाता कि आवेदक ने तीन महीने की अवधि के भीतर निर्धारित प्रति आभार के मूल्य का कम से कम 80 प्रतिशत की सीमा तक अपने प्रति-आभार को पूरा कर दिया है । इस संबंध में , यह स्पष्ट कर दिया जाए कि प्रत्येक मामले में, भारत-अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदक द्वारा पूरा किया जाने वाला प्रति-आभार जैसा मामला हो, आयातों या निर्यातों के मूल्य के 100 प्रतिशत

के समकक्ष है और इस प्रति-आभार को तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा करना अपेक्षित है जो आयातों के मामले में, सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी करने की तारीख से गिना जाएगा तथा निर्यातों के मामले में, निर्यात की तारीख से गिना जाएगा। यदि कोई सम्बद्ध पार्टी पहले आयात/निर्यात के संबंध में प्रति-आभार को पूरा करने की निर्धारित तीन माह की अवधि की समाप्ति के पहले किसी भी समय अगले आयात या निर्यात के लिए आवेदन करती है तो वह ऐसा कर सकती है, बशर्ते कि उस समय तक उसने पहले प्रति-आभार का कम से कम 80 प्रतिशत पूरा कर दिया है और वह इस संबंध में आयात आवेदन के मामले में, संतोषजनक प्रलेखीय साक्ष्य लाइसेंस प्राधिकारियों को तथा निर्यात आवेदन के मामले में भारत के रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करती है।

3. किसी भी मामले में, उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में निर्धारित विधि के अनुसार, तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पार्टी को 100 प्रतिशत प्रति-आभार के पूरा करने के समर्थन में निर्धारित साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 11(ए) उस आधार को निर्धारित करती है जिसके आधार पर, "आयातकों" के मामले में अफगान सूखे फलों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट के मूल्य का परिकलन किया जाएगा। इस संबंध में यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इसके लिए आयातों के सर्वोत्तम वर्ष को ही जिसका ध्यान लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा रखा जाएगा, वह तीन वर्षों की यथा निर्धारित अवधि में से एक वर्ष केवल अफगान सूखे फलों के आयातों का होगा।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972